

## राजनीतिक अपराधीकरण

### प्रलम्ब के लिये:

राजनीतिक अपराधीकरण, लोकतांत्रिक सुधार संघ, भ्रष्टाचार, कानून की अवमानना, काला धन, RP अधिनियम 1951

### मेन्स के लिये:

राजनीतिक अपराधीकरण, इसके कारण और नहितार्थ

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकतांत्रिक सुधार संघ (Association for Democratic Reforms- ADR) ने खुलासा किया है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले कर्नाटक के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों में आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो राजनीतिक अपराधीकरण के मुद्दे को उजागर करता है।

- ADR ने चुनाव लड़ने के संबंध में गंभीर अपराधों के दोषी उम्मीदवारों की स्थायी अयोग्यता की सफारिश की है। हालाँकि ऐसी अयोग्यताओं को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

## राजनीतिक अपराधीकरण:

### परिचय:

- राजनीतिक अपराधीकरण को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जब अपराधी सरकार में बने रहने के लिये राजनीति में भाग लेते हैं, यानी चुनाव लड़ते हैं और संसद एवं राज्य विधानसभाओं हेतु चुने जाते हैं।
- यह बढ़ता हुआ खतरा समाज हेतु एक बड़ी समस्या बन गया है, जो लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को प्रभावित कर रहा है, जैसे चुनावों में नष्पक्षता, कानून का पालन एवं जवाबदेह होना।

### वर्तमान स्थिति:

- ADR के आँकड़ों के अनुसार, भारत में संसद हेतु चुने गए आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2004 से बढ़ती जा रही है।
- वर्ष 2004 में 24% सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित थे, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 43% हो गए।
- फरवरी 2023 में दायर एक याचिका में दावा किया गया था कि वर्ष 2009 से घोषित आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है।

- वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 159 सांसदों ने अपने उपर गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की थी, जिनमें बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं।

## राजनीतिक अपराधीकरण का कारण:

### वोट बैंक:

- उम्मीदवार और राजनीतिक दल अक्सर वोट खरीदने और अन्य गैर-कानूनी प्रथाओं तथा ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं, जिन्हें आमतौर पर "गुंडा" कहा जाता है।
- राजनेताओं और उनके नरिवाचन कर्षेत्रों के बीच घनिष्ठ संबंध एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जो व्यक्तिगत लाभ के लिये सत्ता और संसाधनों के दुरुपयोग को प्रोत्साहित करता है तथा भ्रष्टाचार एवं आपराधिक गतिविधियों को जन्म देता है। राजनीतिक अपराध की इस संस्कृतिको अक्सर इन संबंधों के कारण बल मिलता है।

## ■ भ्रष्टाचार:

- चुनाव लड़ने वाले अधिकांश उम्मीदवारों को धन, नधि और दान की आवश्यकता होती है। यह ध्यान रखना उचित है कि **भ्रष्टाचार** सीधे तौर पर कानून की अवमानना को जन्म देता है।
- **कानून की अवमानना** और राजनीतिक अपराधीकरण के बीच सीधा संबंध है। जब कानून की अवमानना राजनीतिक अपराधीकरण के साथ जुड़ जाती है, तो यह भ्रष्टाचार को जन्म देती है।

## ■ नहिती स्वार्थ:

- लोग आमतौर पर सामुदायिक हितों के एक संकीर्ण पूर्वाग्रही दृष्टिकोण के तहत मतदान करते हैं और राजनेताओं की आपराधिक पृष्ठभूमि की अनदेखी कर देते हैं।
- इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं को केवल इसलिये चुना जाता है क्योंकि **अपने कार्यों हेतु जवाबदेह होने के बजाय किसी विशेष समुदाय के हितों के साथ संरक्षित होते हैं।**

## ■ बाहुबल:

- राजनेता चुनावों के दौरान भ्रष्टाचार और बाहुबल को खत्म करने के वादे करते हैं परंतु शायद ही कभी पूरा करते हैं।
- **फ्रस्ट पासट द पोस्ट (FPTP) प्रणाली** सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार का पक्ष लेती है। बाहुबल का उपयोग करने के पीछे विचारधारा यह है कि भय और हिसा दलों को जीतने में मदद कर सकती है यद्यपि विश्वास हासिल नहीं कर सकते हैं।
  - FPTP प्रणाली को साधारण बहुमत प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। इस मतदान पद्धति में किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजिता घोषित किया जाता है।
- यह राजनीतिक दलों और अपराधियों के बीच एक गंभीर गठजोड़ बनाता है।

## ■ धन बल:

- **काला धन** और माफिया द्वारा दिया जाने वाला फंड राजनीतिक अपराधीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। धन के इन अवैध स्रोतों का उपयोग वोट खरीदने और चुनाव जीतने के लिये किया जाता है, जिससे राजनीतिक अपराधीकरण में वृद्धि होती है।

## ■ अकुशल शासन:

- देश का **अकुशल** शासन भी राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चुनाव की प्रक्रिया को न्यतिरति करने हेतु उचित कानूनों और नयियों का अभाव होता है।
  - केवल **आदर्श आचार संहिता** है, जिसे किसी कानून द्वारा लागू नहीं किया जाता है।

## राजनीतिक अपराधीकरण के नहितार्थ:

- **स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ:** यह एक उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने हेतु मतदाताओं की पसंद को सीमति करता है।
  - यह स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनाव के लोकाचार के खिलाफ है जो लोकतंत्र का आधार है।
- **सुशासन को प्रभावित करना:** प्रमुख समस्या यह है कि कानून तोड़ने वाले कानून निर्माता बन जाते हैं, यह सुशासन प्रदान करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है।
  - लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अस्वास्थ्यकर प्रवृत्तियाँ भारत की सरकारी संस्थाओं की प्रकृति और उसके चुने हुए प्रतिनिधियों की गुणवत्ता की खराब छवि को दर्शाती है।
- **लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा को प्रभावित करना:** काले धन के प्रचलन से राजनेताओं के लिये वोट खरीदना और अपने पदों को सुरक्षित करना आसान हो जाता है, **जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहाँ भ्रष्ट आचरण सामान्यतः राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा बन जाते हैं।**
  - **सामाजिक वैमनस्य का कारण:** यह समाज में हिसा की संस्कृति का परिचय देता है और युवाओं के अनुसरण के लिये एक अनुपयुक्त मसाल कायम करता है तथा शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को कम करता है।

## आपराधिक छव वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता के विधायी पहलू:

- इस संबंध में भारतीय संविधान यह नरिदषित नहीं करता है कि संसद, विधानसभा या किसी अन्य विधानमंडल के लिये चुनाव लड़ने से किसी व्यक्ति को कनि आधारों पर अयोग्य ठहराया जा सकता है?
- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951** में विधायिका का चुनाव लड़ने के लिये किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के मानदंड का उल्लेख है।
  - अधिनियम की धारा 8 कुछ अपराधों के लिये दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने हेतु **अयोग्यता प्रदान करती है**, जिसके अनुसार **दो वर्ष से अधिक सजायाफता व्यक्ति कारावास की अवधि समाप्त होने के बाद छह वर्ष तक** चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है।
  - हालाँकि कानून उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोकता है **जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं**, इसलिये आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता इन मामलों में उनकी सजा पर नरिभर करती है।

## राजनीतिके अपराधीकरण के खिलाफ पहल/सफ़ारशियाँ:

- वर्ष 1983 में राजनीतिके अपराधीकरण पर वोहरा समितिका गठन राजनीतिके-आपराधिक गठजोड़ की सीमा की पहचान करने और राजनीतिके अपराधीकरण से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों की सफ़ारशि करने के उद्देश्य से किया गया था।
- वधिआयोग द्वारा प्रस्तुत **244वीं रिपोर्ट (2014)** में वधायिका में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिये गंभीर परणाम पैदा करने वाले आपराधिक राजनेताओं की प्रवृत्तपर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर विचार किया गया है।
  - वधिआयोग ने उन लोगों की अयोग्यता की सफ़ारशि की जिनके खिलाफ पाँच वर्ष या उससे अधिक की सज़ा के साथ दंडनीय अपराध के लिये नामांकन की जाँच की तारीख से कम-से-कम एक वर्ष पहले आरोप तय किये गए हैं।
- वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने सांसदों और वधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के मुकदमे को तेज़ी से ट्रैक करने हेतु एक वर्ष के लिये 12 विशेष अदालतें स्थापित करने की योजना शुरू की।
  - शीर्ष अदालत ने तब से कई नरिदेश जारी किये हैं, जसिमें केंद्र से इन मामलों में जाँच में देरी के कारणों की जाँच के लिये एक नगिरानी समिति गठित करने को कहा है।

## राजनीतिके अपराधीकरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय:

- 2002:**
  - वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को शैक्षिक योग्यता के साथ उसे अपने आपराधिक और वृत्तीय रिकॉर्ड की घोषणा करनी होगी।
- 2005:**
  - वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि दोषी ठहराए जाने पर मौजूदा सांसद या वधायक को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और कानून की अदालत द्वारा दो साल या उससे अधिक के लिये कारावास की सज़ा सुनाई जाएगी।
- 2013:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि सांसद या राज्य वधिनसभा का कोई भी सदस्य जो किसी अपराध के लिये दोषी ठहराया जाता है **और दो साल या उससे अधिक की जेल की सज़ा काटता है**, उसे पद धारण करने से अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- 2014:**
  - दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति को केवल इसलिये चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है **क्योंकि उस पर आपराधिक आरोप लगाया गया है**।
  - हालाँकि अदालत ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को **आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारना चाहिये**।
- 2019:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के **आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल और समाचार पत्रों पर प्रकाशित करने का आदेश दिया है**।
  - अदालत ने भारत नरिवाचन आयोग (ECI) को यह सुनिश्चित करने के लिये एक ढाँचा तैयार करने का भी नरिदेश दिया ताकि उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्रभावी ढंग से प्रसारित की जा सके।

## आगे की राह

- ECI को अधिक शक्ति:** चुनाव सुधारों पर समितियों ने **चुनावों के राज्य वृत्तपोषण और काले धन पर अंकुश लगाने** तथा राजनीतिके अपराधीकरण को सीमित करने के लिये **नरिवाचन आयोग को मज़बूत करने** की सफ़ारशि की है।
- मतदाताओं का कर्तव्य:** मतदाताओं को **चुनाव के दौरान धन के दुरुपयोग** को लेकर भी सतर्क रहना चाहिये। न्यायपालिका को गंभीर आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतबंध लगाने पर विचार करके एक सक्रिय भूमिका नभानी चाहिये।
- शीघ्र न्यायिक प्रक्रियाएँ:** न्यायिक प्रक्रिया में तेज़ी लाने से राजनीतिके व्यवस्था में **भ्रष्टता को रोकने के अतिरिक्त आपराधिक तत्त्वों को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है**। एक समयबद्ध न्याय वृत्तरण प्रणाली ECI द्वारा उठाए गए कड़े कदम और **प्रसंगिक कानूनों को उचित रूप से मज़बूत करती है**।
- RPA में संशोधन:** राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के लिये **RPA 1951 में संशोधन की आवश्यकता** है ताकि उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके जिनके खिलाफ कोई गंभीर प्रकृतिका अपराध लंबित है।

**UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:**

**2022-23:**

**प्रश्न.** प्रायः कहा जाता है कि 'राजनीति' और 'नैतिकता' साथ-साथ नहीं चल सकते। इस संबंध में आपका क्या मत है? अपने उत्तर का, उदाहरणों सहित आधार बताइये। (2013)

**स्रोत: द द्रिष्टि**

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/criminalisation-of-politics-1>

